राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1735/2012/श्रीगंगानगर.

मैसर्स अम्बिका मिल स्टोर, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 240/आरवेट/श्रीगंगानगर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24, 55, 58, 18, 97ए सपठित धारा 2(33), 8(2) व नियम 18 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–54 दिनांक 01.06.2006 एवं 2005–62 दिनांक 05.07.2006 के आलोक में आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के दौरान विक्रेता व्यवहारी मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से ए.सी.शीट क्रय की जाकर उसका करमुक्त विक्रय किया गया है, जिसका कारण यह बताया गया कि उक्त विक्रेता व्यवहारी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त करमुक्त माल बेचने की अनुमति प्रदान की गयी थी अतः बिना इनपुट टैक्स क्रय किये गये माल पर आउटपुट टैक्स की देयता नहीं मानते हुए करमुक्त विक्रय किया गया है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यवहारी को 12.5 प्रतिशत कर तथा 12 प्रतिशत ब्याज के बंध–पत्र आयुक्त, वाणिज्यिक कर

लगातार.....2

विभाग को देने की शर्त पर करमुक्त माल बेचने की अनुमति प्रदान किये जाने के आधार पर यह अवधारित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज के माल को करमुक्त घोषित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.9.2009 को पारित करते हुए कुल बिक्रीत ए.सी.शीट्स रूपये 14,65,995/— पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,83,250/— एवं ब्याज रूपये 43,980/— का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2012 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी को करमुक्त माल बेचने की अनुमति प्रदान किये जाने तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 एवं 05.07.2006 के जरिये ए.सी. शीट्स की करमुक्त बिक्री किये जाने के प्रावधानों के तहत व्यवहारी द्वारा विधि अनुसार करमुक्त बिक्री की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री को करयोग्य अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रकरण में विधि का विवादित बिन्दु यह था कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 एवं 05.07.2006 के जरिये एस्बेस्टोस शीट्स की बिक्री पर करमुक्ति प्रदान की गई थी उसमें यह शर्त थी कि वह माल राज्य के भीतर निर्मित हो एवं कुल माल के वजन अनुसार इसमें 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जावे। उक्त अधिसूचना की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राज्य के बाहर निर्मित माल पर करमुक्ति नहीं देना समानता के अधिकार के विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में इसी अधिसूचना के विरूद्ध इसी बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (4) राज. 3462 निर्णय दिनांक 02.08.2007)** में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को

लगातार.....3

विधिसम्मत ठहराया जा चुका है एवं मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की याचिका को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी की बिक्री स्वतः ही करयोग्य हो जाती है एवं इस पर करमुक्ति का लाभ देय नहीं है। समान मामलों में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 422—423/2010/जयपुर खुटेटा स्टील्स जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर में निर्णय दिनांक 21.7.2016** पारित किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज की जा चुकी है एवं हस्तगत प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

11.05.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य